मा0 अध्यक्ष जी,

इस वर्ष उत्तराखण्ड में 13 वर्ष के अन्तराल के बाद नन्दा देवी राजजात यात्रा का आयोजन हो रहा है। नागाधिराज हिमालय की गोद में बसी नन्दा देवी एवं पर्वतराज हिमालय को मैं सर्वप्रथम नमन् करती हूँ।

''नन्दा देवी परमं गोपया, तमैवास्ति सुरार्चिता।
सर्वकाम प्रदानित्यं सर्वकाम फलप्रदा।।''

इस वर्ष हम स्वामी विवेकानन्द जी की 125वीं जन्मशती वर्ष भी मना रहे हैं। स्वामी विवेकानन्द जी का भी उत्तराखण्ड के सन्दर्भ में विशिष्ट महत्व रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवनकाल में इस देवभूमि का व्यापक भ्रमण किया था और यहाँ साधनारत् रहे थे। भारत के इस महान सपूत, जिन्हें महर्षि श्री अरविन्द ने ''A VERY LION AMONG MEN'' की संज्ञा देते हुए कहा था '' BEHOLD VIVEKANAND STILL LIVES IN THE SOUL OF HIS MOTHER AND IN THE

SOULS OF HER CHILDREN''. विवेकानन्द जी के सम्बन्ध में राष्ट्रपिता पूज्य बापू ने लिखा है ''AFTER HAVING GONE THROUGH HIS WORKS, THE LOVE I HAD FOR MY COUNTRY BECAME A THOUSANDFOLD''.

इस ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में मैं आपकी अनुमति से इस परम् सम्मानित सदन के सम्मुख वित्तीय वर्ष 2013–14 का बजट प्रस्तुत कर रही हूँ।

यह मेरा परम् सौभाग्य है कि मुझे पुनः उत्तराखण्ड राज्य की तीसरी निर्वाचित सरकार का द्वितीय वर्ष का बजट प्रस्तुत करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है।

'सीख तू फूलों से गाफिल मुद्दाये जिन्दगी।
खुद महकना ही नहीं, गुलशन को महकाना भी है।।'

'चिरागों की हिफाजत करते–करते,
हवा का रूख बदलना आ गया है।

कहाँ तक आग बरसायेगा सूरज,
हमें शोलों पे चलना आ गया है।।

महोदय, अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक व वित्तीय चुनौतियों के परिपेक्ष्य में राजकोषीय नियोजन पर विशेष ध्यान दिया जाना वर्तमान तथा भावी दृष्टिकोण से अत्यन्त आवश्यक है। साथ ही साथ विकास की गति बनाए रखने व वहनीय दरों पर गुणवत्ता पूर्ण सेवाएँ प्रदान करने के लिए सेवा प्रदाय उपक्रमों / संस्थाओं में यथाआवश्यक विनियमन सहित पारदर्शिता तथा सुधार कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की भी आवश्यकता है।

पिछले वर्ष मैंने अपने बजट भाषण में आजीविका सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, वन एवं पर्यावरण की सुरक्षा तथा आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को इंगित करते हुए इन पांच आधार तत्वों को ध्यान में रख कर भावी योजनाओं को अमलीजामा पहनाने की आवश्यकता पर बल दिया था। शाश्वत सत्य की भांति

महत्वपूर्ण इन पॉचों बिन्दुओं पर पुनः ध्यान केंद्रित करते हुए वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक में विभिन्न विभागीय बजट प्राविधान प्रस्तावित किये गये हैं।

महोदय, देश के स्तर पर लगभग 5 प्रतिशत की विकास दर तथा उत्तराखण्ड राज्य के स्तर पर लगभग 6.87 प्रतिशत विकास दर की वर्तमान परिस्थितियों एवं अन्य कारणों से हमारी राजस्व प्राप्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक परिणीति होगा, तथापि प्रवर्तन कार्य एवं वसूली पर पूर्ण ध्यान देकर मांग हेतु आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाने पर बल दिया जाएगा।

आर्थिक एवं राजकोषीय परिवेश तथा वित्तीय प्रबन्धनः

वर्तमान में विश्व के कई देशों में आर्थिक मन्दी का खतरा है तथा राष्ट्रीय स्तर पर सकल घरेलू उत्पाद की अनुमानित अपेक्षाकृत न्यून वृद्धि दर के साथ–साथ उत्तराखण्ड में भी सकल घरेलू उत्पाद की

वृद्धि दर पूर्व के सापेक्ष कम अनुमानित है। भारत सरकार द्वारा विगत दिनों प्रस्तुत केन्द्रीय बजट अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर विकास की वृद्धि दर लगभग पाँच प्रतिशत अनुमानित की गई है जबकि उत्तराखण्ड राज्य की विकास वृद्धि दर भी लगभग 6.87 प्रतिशत अनुमानित है। राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर विकास वृद्धि दर अपेक्षाकृत न्यून रहने के आलोक में केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार को अपना राजकोषीय घाटा नियंत्रित करने की कठिन चुनौती का भी सामना करना है। वर्ष 2013–14 में भारत सरकार को राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.8 प्रतिशत रखना है जबकि वर्ष 2012–13 में इसे 5.2 प्रतिशत पर रखने की प्रतिबद्धता इंगित की गई है। इन परिस्थितियों में केन्द्रीय करों में राज्य सरकार की हिस्सेदारी प्रभावित होना निश्चित है जबकि विभिन्न योजनाओं/ अनुदान मदों के अन्तर्गत सहायता भी प्रभावित हो सकती है। वर्ष 2012–13 में ही केन्द्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी में लगभग रू0 116 करोड़ की कमी होना परिलक्षित हुआ है। राज्य सरकार को भी

एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम के लक्ष्यों के अन्तर्गत अपना राजकोषीय घाटा वर्ष 2013–14 में सकल घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत के अन्तर्गत रखना है और भारत सरकार से हमारी ऋण लेने की सीमा भी निर्धारित है। ऐसी दशा में, जबकि हमारे वित्तीय संसाधन अत्यन्त सीमित हैं और हमारी विकास दर भी वर्तमान में लगभग 6.87 प्रतिशत है, राज्य सरकार के स्तर पर वित्तीय प्रबन्धन को सुव्यवस्थित करने तथा राजकोषीय घाटा को नियंत्रित रखने के लिए आय के जो अनुमान लगाये गये हैं उन्हें प्राप्त करने हेतु विशेष प्रयास और प्रवर्तन कार्य में कड़ाई व वसूली हेतु सघन अनुश्रवण करना अति आवश्यक हो गया है। साथ ही राज्य सरकार को यूजर चार्जेज का मूल्य वृद्धि के अनुसार युक्तिकरण तथा उन्हें अद्यावधि आधार पर निर्धारित करना भी आवश्यक है।

मान्यवर, वित्तीय वर्ष 2013–14 में हमारे स्वयं के स्रोतों से आय कुल राजस्व प्राप्तियों का लगभग 43.93 प्रतिशत अनुमानित है जबकि केन्द्रीय करों में हमारे हिस्से के रूप में प्राप्त होने वाली आय हमारे कुल राजस्व

आय का लगभग 20.56 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार से योजनागत एवं अन्य अनुदान के रूप में राज्य को कुल राजस्व प्राप्तियों का लगभग 35.51 प्रतिशत राजस्व प्राप्त होना अनुमानित है। बाजार व अन्य स्रोतों से ऋण के रूप में राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2013–14 में अपनी कुल प्राप्तियों का लगभग 21.25 प्रतिशत प्राप्त किये जाने का अनुमान है। इसी प्रकार व्यय पक्ष में हमारे कुल व्यय का लगभग 65.61 प्रतिशत आयोजनेत्तर पक्ष में एवं 34.39 प्रतिशत आयोजनागत पक्ष में व्यय होना अनुमानित है। पेंशन एवं ब्याज भुगतान को घटाते हुए हमारे कुल राजस्व व्यय का लगभग 58.02 प्रतिशत व्यय वेतन आदि मदों में होना अनुमानित है जबकि केन्द्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों में इंगित मानक अनुसार यह 35 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। स्पष्ट है विगत वर्षों से लगातार हमारा आयोजनेत्तर पक्ष का व्यय तथा वेतन आदि मदों में व्यय अपेक्षाकृत रूप से अधिक है, अतः इन मामलों में व्यय को नियंत्रित करने की चुनौती भी हमारे सम्मुख है।

राज्य सरकार द्वारा 12वें तथा तदोपरान्त 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में राजकोषीय समेकन (Fiscal Consolidation) को सुनिश्चित करने के लिए राजकोषीय उत्तरादायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, अर्थात एफ0आर0बी0एम0 एक्ट के अन्तर्गत राजस्व घाटा शून्य रखने तथा राजकोषीय घाटा वर्ष 2013–14 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के विरूद्ध 3.0 प्रतिशत की सीमान्तर्गत रखना संकल्पित किया है। इस प्रतिबद्धता का उद्देश्य है कि राज्य सरकार ऋण ग्रस्तता में न फंसे और राजस्व अधिशेष से दीर्घकालिक पूंजीगत कार्यों व आय सृजन करने वाली परिसम्पत्तियों के निर्माण में व्यय हेतु संसाधन उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम के लक्ष्य अनुसार वर्ष 2013–14 में राज्य सरकार का राजकोषीय घाटा रुपया तीन हजार छः सौ इक्कीस करोड़ की सीमान्तर्गत सुनिश्चित किया जाना है। इन विधिक प्रतिबद्धताओं के परिदृश्य में राज्य के स्वयं के संसाधन सीमित होने तथा आयोजनेत्तर व वेतन आदि मदों में अपेक्षाकृत अधिक व्यय हेतु मांग होने के कारण साल दर साल राज्य की कुल

ऋण देयता बढ़ रही है। यद्यपि वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए राज्य की शुद्ध ऋण सीमा रुपया तीन हजार छः सौ इक्कीस करोड़ निर्धारित हुई है, तथापि वर्ष में लिए जाने वाले कुल ऋणों उपरान्त राज्य का सकल ऋण दायित्व लगभग रुपया अटठाईस हजार चार सौ निन्यानवे करोड़ के स्तर पर पहुँचना अनुमानित है।

उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों एवं कठिन चुनौतियों के बावजूद मुझे आशा है कि सभी माननीय सदस्यों के सहयोग से राज्य इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक समाधान कर सकेगा और सुशासन, सघन प्रवर्तन, राजस्व वसूली तथा विभिन्न सुधारों को क्रियान्वित करने में सफलता प्राप्त हो सकेगी।

वार्षिक योजनाः

वित्तीय वर्ष 2013–14 की वार्षिक योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना लम्बित है, परन्तु वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुमानों के दृष्टिगत वर्ष 2013–14 में लगभग रुपया आठ हजार सात सौ दस करोड़

का प्राविधान आयोजनागत पक्ष में प्रस्तावित किया गया है।

मान्यवर,

इस अवसर पर मैं सरकार द्वारा किये जाने वाले प्रयासों तथा प्रस्तावित कार्यों के सम्बन्ध में कुछ प्रमुख बिन्दुओं का उल्लेख यहां करना चाहती हूँ :–

- ❖व्यापारियों को सुविधा उपलब्ध कराये जाने के लिए केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम से सम्बन्धित फार्म ''सी'', ''एफ'' एवं ''एच'' विभागीय वेबसाईट से व्यापारी द्वारा स्वयं अपने सिस्टम से ही प्राप्त कर प्रिन्ट लेने की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है जिसके लिए उन्हें कोई फीस अदा नहीं करनी होगी।
- ❖उद्यमियों की सुविधा के लिए वैट नियमावली अन्तर्गत जारी किये जाने वाले फार्म XI हेतु निर्धारित मौद्रिक सीमा रुपये पाँच लाख को समाप्त किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही फार्म. XI को वर्तमान वर्ष तथा

पूर्व दो वर्षों के स्थान पर वर्तमान तथा पूर्व चार वित्तीय वर्षों के लिये जारी करने का प्राविधान किया जाना प्रस्तावित है।

❖होटल व्यवसायियों को सुविधा दिये जाने के दृष्टिगत होटलों पर सुख–साधन कर सम्बन्धी कर निर्धारण छमाही के बजाय वार्षिक रूप से किया जाना प्रस्तावित है।

❖राज्य में पर्यटन को विकसित करने के उद्देश्य से ''स्पा'' को सुख–साधन कर के दायरे से हटाया जाना प्रस्तावित है।

❖राज्य के फल उत्पादकों के हित में एवं फलों के उत्पादन व उपयोग को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से राज्य में उत्पादित फलों से विनिर्मित वाईन पर निर्माता एवं आयातकर्ता के बिन्दु पर कर की दर कम कर 32.5 प्रतिशत से 5 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

❖दैवी आपदा से क्षति रोकने व बाढ़ संरक्षण सम्बन्धी कार्यों हेतु उपयोग में लाए जाने वाले वायर क्रेट पर

कर दर घटा कर 13.5 प्रतिशत से 5 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

- ❖राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित माल के उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु ऐसे माल के निर्माता इकाईयों को फार्म ''सी'' के विरुद्ध कर छूट की सुविधा की अवधि 31 मार्च 2015 अथवा जी0एस0टी0 लागू होने तक विस्तारित किया जाना प्रस्तावित है।
- ❖परिवार के सदस्यों के पक्ष में किये जाने वाले दान पत्रों पर स्टाम्प शुल्क वर्तमान 2 प्रतिशत दर के स्थान पर 1 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।
- ❖निःशक्त व्यक्तियों को सम्पत्ति के अन्तरण में स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत छूट वर्तमान रु0 5 लाख मूल्य की सम्पत्ति के स्थान पर रु0 10 लाख किया जाना प्रस्तावित है।
- ❖महिलाओं के हित तथा उनके सशक्तिकरण की दृष्टि से स्त्रियों के पक्ष में किये जाने वाले बिक्री पत्रों तथा अन्य अन्तरण विलेखों के सम्बन्ध में वर्तमान रु0 20 लाख तक की धनराशि के स्थान पर रु0 30 लाख

तक के विलेखों में स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत छूट दिया जाना प्रस्तावित है।

❖बजट के माध्यम महिलाओं को सम्मानित करते हुए उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए अवसर उपलब्ध कराने का समुचित प्रयास किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत जेण्डर बजट के रूप में शत् प्रतिशत महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं के साथ अन्य योजनाओं में मात्राकरण आधार पर महिलाओं के विकास एवं सशक्तिकरण को समुचित एवं समन्वित रूप से गति प्रदान की जा रही है। इसे सुनिश्चित करने हेतु वर्ष 2013–14 में जेण्डर बजट में लगभग रुपया तीन हजार दो सौ बासठ करोड़ का प्राविधान है जो वर्ष 2012–13 के सापेक्ष लगभग 46 प्रतिशत अधिक है।

❖महिलाओं की सुरक्षा तथा उत्पीड़न की शिकायतों का त्वरित निस्तारण हेतु पुलिस विभाग के अन्तर्गत पुलिस मुख्यालय में महिला सहायता प्रकोष्ठ स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

- ❖शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु विद्यालयी शिक्षा विभाग में काल सेन्टर आधारित उपस्थिति सूचना प्रणाली का क्रियान्वयन प्रस्तावित है। साथ ही विद्यालयों एवं शैक्षिक गतिविधियों की आनलाईन मानीटरिंग हेतु एजुकेशन पोर्टल का संचालन करना भी प्रस्तावित है।
- ❖नये पॉलीटेक्निकों की स्थापना तथा पूर्व पॉलीटेक्निकों में अतिरिक्त विषय प्रारम्भ करने सहित वर्तमान पॉलीटेक्निकों के सुदृढ़ीकरण हेतु 333 शैक्षणिक व अन्य पदों का सृजन प्रस्तावित है।
- ❖प्रदेश के उदीयमान खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण दिये जाने हेतु शिविरों का आयोजन व जनपदों में आवासीय क्रीड़ा छात्रावासों की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- ❖शहरी खेल अवस्थापना सुविधा योजनान्तर्गत देहरादून में एस्ट्रोटर्फ लगाये जाने तथा काशीपुर में इंडोर हाल के निर्माण हेतु रु0 17 करोड़ का प्राविधान रखा गया है।

- ❖देहरादून, हल्द्वानी में अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण प्रस्तावित है। हल्द्वानी के लिए 13वें वित्त आयोग में 25 करोड़ रुपये स्वीकृत हैं तथा देहरादून में एथलेटिक्स मैदान में सिन्थेटिक ट्रैक की व्यवस्था आदि हेतु रु0 13 करोड़ का प्राविधान प्रस्तावित है।
- ❖बागेश्वर में ब्लड बैंक तथा ट्रामा सैन्टर की स्थापना हेतु पदों का सृजन किया जा रहा है।
- ❖उत्तरकाशी में ट्रामा सेन्टर की स्थापना हेतु पदों का सृजन करना प्रस्तावित है।
- ❖नव सृजित चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के सुचारू संचालन हेतु मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पद सृजित किया जाना प्रस्तावित है।
- ❖जनपद नैनीताल में पटरानी वन क्षेत्र में परिवार कल्याण उपकेन्द्र की स्थापना प्रस्तावित है।
- ❖खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम अन्तर्गत अपीलीय अधिकरण की स्थापना के लिए प्राविधान किया गया है।

❖पेयजल का बजट गत वर्ष के आय–व्ययक से लगभग रु0 158 करोड़ अर्थात लगभग 37 प्रतिशत बढ़ाया गया है।

❖जिला योजना के अतिरिक्त राज्य सेक्टर अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में हैण्ड पम्पों की स्थापना करना प्रस्तावित है। नगरीय क्षेत्रों में भी राज्य सैक्टर अन्तर्गत हैण्ड पम्प स्थापित करने हेतु प्राविधान रखा गया है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति उपयोजनान्तर्गत हैण्ड पम्पों की स्थापना करने के लिए भी प्राविधान किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में रु0 17 करोड़ की व्यवस्था है।

❖राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के सापेक्ष 50 प्रतिशत राज्यांश हेतु रु0 50 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। यह व्यवस्था जिला योजना तथा राज्य सैक्टर अन्तर्गत किये जा रहे बजट प्राविधान के अतिरिक्त है।

❖राज्य आन्दोलनकारियों के लिए उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा के लिए प्राविधान सम्मिलित किया गया है।

- ❖विनियमित क्षेत्र नवीन चकराता, चोपता, रुद्रप्रयाग, चम्पावत एवं बागेश्वर हेतु पदों का सृजन करना प्रस्तावित है।
- ❖कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम अन्तर्गत कोटद्वार, बाजपुर, जसपुर, सितारगंज एवं हल्द्वानी में कर्मचारी राज्य बीमा औषधालयों की स्थापना हेतु पदों का सृजन प्रस्तावित है।
- ❖सरकारी एवं सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों के आधुनिकीकरण हेतु पूर्व प्रदत्त ऋणों का अंशपूंजी में परिवर्तन प्रस्तावित है।
- ❖नन्दा राजजात यात्रा 2013 के आयोजन हेतु वर्ष 2012–13 में राज्य आकस्मिकता निधि से अवमुक्त की गई राशि की प्रतिपूर्ति प्रस्तावित है।
- ❖शिक्षा का अधिकार अधिनियम अन्तर्गत असहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बच्चों के शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु लगभग रु0 8 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

❖अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कक्षा 9 व 10 के छात्रों को छात्रवृत्ति हेतु लगभग रु0 18 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

❖अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति बहुल ग्रामों में कृषि विकास हेतु लगभग रु0 5 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।

❖अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिला मुखिया हेतु बकरी, भेड़ एवं गौ पालन की योजना प्रस्तावित है।

❖अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए गहरी बोरिंग तथा निःशुल्क विद्युत संयोजन हेतु धनराशि प्राविधानित है।

❖अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में एम0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत रु0 35 करोड़ का प्राविधान किया गया है एवं इसके अतिरिक्त अवस्थापना सुविधाओं के

विकास हेतु रु0 4 करोड़ की निधि भी प्रस्तावित की गई है।

❖राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन अन्तर्गत रु0 40 करोड़ का बजट प्रस्तावित है।

❖पंचायतों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान अन्तर्गत रु0 36 करोड़ का प्राविधान रखा गया है।

❖मानव वन्य जीव संघर्ष रोकथाम निधि नियमावली 2012 प्रख्यापित की गयी है, जिसके माध्यम से जंगली जानवरों द्वारा घायल, अपंग मानव एवं पशुओं तथा फसलों का मुआवजा देने का प्रावधान है। जंगली जानवरों से हुई क्षतिपूर्ति की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

❖एरोमैटिक प्लांटस की खेती द्वारा कृषि योग्य बंजर भमि की पुनर्स्थापना (Rehabilitation) का एक प्रयास सगंध पौधा केन्द्र (CAP) सेलाकुई, देहरादून में किया गया है। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र या अन्य किसी भी उपलब्ध बंजर भूमि का उपयोग एरोमैटिक प्लांट्स

की खेती के माध्यम से किया जा सकता है। इस दिशा में विशेष प्रयास की आवश्यकता है।

- ❖युवाओं को रोजगार देने की दृष्टि से Handicrafts, Fisheries, Horticulture, Floriculture, Tourism, Hospitality, Food Processing, Carpet manufacturing आदि के सम्बन्ध में नवयुवकों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से दक्षता विकास केन्द्रों (Skill Development Centres) का पंतनगर विश्वविद्यालय, आई0आई0एम0 काशीपुर, आई0आई0टी0 रूड़की एवं Tourism के सहयोग से स्थापना पर बल दिया जायेगा।
- ❖वर्ष 2012–13 के सापेक्ष वर्ष 2013–14 में माध्यमिक शिक्षा हेतु 51 प्रतिशत, खेलकूद एवं युवा कल्याण हेतु 122 प्रतिशत, चिकित्सा शिक्षा में 68 प्रतिशत, अल्प संख्यक कल्याण में 149 प्रतिशत, बाल विकास पुष्टाहार में 30 प्रतिशत, उद्यान में 248 प्रतिशत, बी0ए0डी0पी0 में 196 प्रतिशत, बाढ़ नियंत्रण हेतु 29 प्रतिशत, पर्यटन हेतु 32 प्रतिशत, पशुपालन में 40

प्रतिशत, मत्स्य में 34 प्रतिशत, अनुसूचित जाति कल्याण में 41 प्रतिशत तथा अनुसूचित जातियों का कल्याण में 76 प्रतिशत वृद्धि प्रस्तावित है।

❖अनुसूचितजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु विभागीय योजनाओं के अतिरिक्त रु0 50 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

बैंकिंग सेवाएँ

राज्य के आर्थिक विकास सहित वित्तीय समावेश (Financial inclusion) तथा सामाजिक पेंशन, छात्रवृत्ति व अन्य अनुदानों का लाभार्थी को त्वरित अन्तरण के लिए बैंकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। राज्य में वित्तीय समावेश हेतु बैंकिंग सेवाएँ सुलभ कराने, बैकों का ऋण जमा अनुपात बढ़ाने तथा कम्प्यूटर आधारित नकदी अन्तरण की सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से वित्त पोषणः

राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों के होते हुए विकास को गति देने के लिए ऊर्जा, सड़क, पेयजल, पर्यटन, जलागम व शहरी विकास के क्षेत्र में वाह्य सहायतित योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं। विभिन्न वाह्य सहायतित योजनाओं अन्तर्गत वर्ष 2013–14 में रु0 1000 करोड़ का वित्त पोषण विश्व बैंक, एशियन डेवल्पमेन्ट बैंक तथा आईफैड से किया जाना अनुमानित है।

केन्द्र पोषित योजनाओं से वित्तीय सहायताः

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इन्दिरा आवास योजना, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, मनरेगा आदि विभिन्न योजनाओं में भारत सरकार से वित्त पोषण सीधे क्रियान्वयन अभिकरणों को किया जाता है जो राज्य संचित निधि से व्यय में परिलक्षित नहीं होती है। इसके अतिरिक्त तेरहवें

वित्त आयोग, जवाहर लाल नेहरू अरबन रिन्यूवल मिशन, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, एन0एस0ए0पी0, ई–गवर्नेन्स, बी0आर0जी0एफ0 तथा बी0ए0डी0पी0 आदि योजनाओं अन्तर्गत राज्य की संचित निधि के माध्यम से केन्द्र सरकार से लगभग रु0 1160 करोड़ एक हजार एक सौ साठ करोड़ का अनुदान वर्ष 2013–14 में प्राप्त होना अनुमानित है।

राजकोषीय सेवाएँ :

राज्य की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों एवं अन्य कारणों के दृष्टिगत राज्य के वित्तीय संसाधन अत्यन्त सीमित हैं जबकि इन संसाधनों के सापेक्ष विभिन्न उद्देश्यों हेतु मांग व अपेक्षाएँ अधिक हैं। मांग के सापेक्ष पूर्ति के लिए राज्य सरकार को एक ओर वित्तीय संसाधन के नये स्रोत तलाशने हैं तो दूसरी ओर यूजर चार्जेज व शुल्कों को मूल्य वृद्धि अनुरूप अद्यावधि करने और सेवाओं की आउटसोर्सिंग व पी0पी0पी0 प्रारूप का उपयोग करते

हुए सीमित संसाधनों के बावजूद अधिक कार्य सम्पन्न कराने के प्रयास भी करने हैं। वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत यद्यपि सकल रूप से घाटे का बजट प्रस्तुत है तथापि एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम के लक्ष्यों की अनुपालना करते हुए यह अनुमानित है कि राजस्व घाटा शून्य तथा राजकोषीय घाटा निर्धारित सीमान्तर्गत अर्थात राज्य सकल घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत के अन्तर्गत रहेगा।

वाणिज्य कर :

राज्य सरकार के कुल राजस्व आय का लगभग 25.57 प्रतिशत एवं स्वयं के राजस्व के सापेक्ष लगभग 58.21 प्रतिशत राजस्व मूल्य वर्धित कर अर्थात वैट से प्राप्त होता है। वर्ष 2012–13 में वैट से राजस्व प्राप्ति के पुनरीक्षित अनुमान लगभग रुपया चार हजार अट्ठासी करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2013–14 में लगभग रुपया चार हजार आठ सौ सैंतालीस करोड़ राजस्व प्राप्ति अनुमानित है।

सरकार द्वारा वाणिज्य कर विभाग की कार्य प्रणाली को पारदर्शी, परिणामोन्मुखी, कार्य कुशल तथा दक्ष बनाने के लिए 'मिशन मोड प्रोजेक्ट' के अधीन कम्प्यूटर माध्यम ई–पंजीकरण, ई–रिटर्न, ई–पेमेन्ट, फार्म माड्यूल तथा एस0एम0एस0 सर्विस माड्यूल आदि सेवाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। मार्च, 2013 से वाणिज्य कर चौकियों को समाप्त कर नई व्यवस्था लागू की गई है। अब माल सहित राज्य में प्रवेश करने वाले वाहनों को माल के प्रपत्रों की जाँच कराने हेतु रूकना नहीं होगा, बल्कि राज्य में प्रवेश करने से पूर्व ही लदे माल की ऑनलाइन घोषणा विभागीय वेबसाइट में ट्रिप शीट/ ट्रांजिट पास के रूप में करनी होगी।

व्यय पक्ष में वाणिज्य कर के अन्तर्गत वर्ष 2013–14 में लगभग रु0 77 करोड़ का प्राविधान है।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन :

वर्ष 2013–14 में स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन से लगभग रुपये छः सौ चालीस करोड़ का राजस्व प्राप्त

होना अनुमानित है। उप निबन्धक कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण करने तथा ई–स्टाम्पिंग प्रणाली लागू करने के फलस्वरूप विलेखों के पंजीकरण में होने वाले विलम्ब को कम करने और स्टाम्प की उपलब्धता व अन्य प्रकार की समस्याओं से निपटने में सफलता मिली है। इन प्रयासों को आगे और बढ़ाने एवं अन्य कार्यकलापों को भी सम्मिलित करने का प्रयास किया जा रहा है।

वर्ष 2013–14 में स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग अन्तर्गत व्यय पक्ष में लगभग रु0 30 करोड़ का प्राविधान है।

आबकारीः

आबकारी नीति माध्यम मदिरा तथा अल्कोहल की बिक्री को विनियमित करने के साथ–साथ बाटलिंग नीति और राज्य में उत्पादित फलों से वाइन उत्पादन हेतु विन्टनरी व माइक्रो पब ब्रुवरी नीति के माध्यम से अतिरिक्त राजस्व की व्यवस्था सहित रोजगार के

अतिरिक्त अवसर सृजित होना सम्भावित है। सघन प्रवर्तन तथा अन्य माध्यमों से मदिरा की तस्करी पर नियंत्रण करने के प्रयास जारी हैं।

वर्ष 2013–14 में आबकारी से लगभग रुपये एक हजार एक सौ उन्चास करोड़ की राजस्व प्राप्ति सम्भावित है जबकि व्यय पक्ष में लगभग रु0 11 करोड़ का प्राविधान है।

परिवहनः

राज्य की विशिष्ट भौगोलिक व अन्य परिस्थितियों के दृष्टिगत सड़क परिवहन राज्य में यातायात का प्रमुख साधन है जबकि रेल यातायात का आच्छादन अभी सीमित है। वाहनों की यांत्रिक जांच तथा फिटनेस के लिए आधुनिक टेस्टिंग व्यवस्था स्थापित करने हेतु प्रयास किया जा रहा है एवं चालक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से चालकों का प्रशिक्षण और रिफ्रेशर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है तथा सिमुलेटरों की व्यवस्था करना विचाराधीन है। वाहनों के पंजीयन, चालक लाइसेंस तथा परमिट निर्गत करने का कार्य कम्प्यूटर माध्यम किया जा रहा

है। राज्य में रेल नेटवर्क को बढ़ाने के लिए भी प्रयास किये जा रहे हैं।

वर्ष 2013–14 में वाहन कर आदि से रुपये तीन सौ बीस करोड़ की आय अनुमानित है जबकि व्यय पक्ष में लगभग रु0 92 करोड़ का प्राविधान है।

नागरिक उड्डयनः

विभिन्न विषम परिस्थितियों के दृष्टिगत राज्य में विमानन सेवाओं का विस्तार अभी तक सीमित है। राज्य सरकार विमानन सेवाओं का विस्तार करने हेतु प्रयास कर रही है। विभिन्न स्थानों में हैलीपैड की स्थापना सहित नैनी–सैनी, गोचर व चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टियों को विमानन सेवाओं के लिए क्रियाशील करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। नैनी–सैनी हवाई पट्टी पिथौरागढ़ से ATR Type विमानों के परिचालन हेतु विस्तारीकरण एवं उच्चीकरण योजना पर कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। प्रत्येक जनपद में हैलीपैड निर्माण योजनान्तर्गत निर्मित हैलीपैडो का उपयोग हैली आपरेटरों

द्वारा किया जा रहा है। निर्मित हवाई पट्टियों एवं हैलीपैडों का उपयोग पर्यटन, सामरिक महत्व के साथ–साथ आपदा प्रबन्धन में भी किया जा रहा है। निर्मित हैलीपैडों से लैण्डिंग पार्किंग शुल्क का अधिरोपण कर राजस्व जुटाने का प्रस्ताव है।

नागरिक उड्डयन विभाग हेतु वर्ष 2013–14 में लगभग रु0 12 करोड़ का प्राविधान है।

ऊर्जा एंव वैकल्पिक ऊर्जाः

राज्य में जल विद्युत उत्पादन की पर्याप्त सम्भावना के बावजूद विभिन्न कारणों से राज्य में विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने की गति विगत समय से धीमी हो गई है। फलतः राज्य को विद्युत उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए काफी मात्रा में अन्य स्रोतों से महंगी विद्युत क्रय करना पड़ रहा है। साथ ही विद्युत वितरण व्यवसाय में तकनीकी एवं वाणिज्यिक आधारों तथा विद्युत चोरी व अन्य विभिन्न कारणों से काफी विद्युत हानियां हो रही हैं। यद्यपि विभिन्न प्रयासों से विद्युत

हानियों को कम करने में कुछ सफलता प्राप्त हुई है तथापि अनुमन्य मानक स्तर तक विद्युत हानियों को कम करने हेतु हमें अभी काफी प्रयास करने हैं जिस हेतु सभी का सहयोग आवश्यक है। सरकार राज्य में विद्युत उत्पादन एवं पारेषण क्षमता बढ़ाने के लिए भी प्रयास कर रही है।

वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के दोहन के लिए घराट सुधारीकरण, लघु जल विद्युत उत्पादन, सौर ऊर्जा व बायो ऊर्जा आधारित विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं जिनसे दूरस्थ व दुर्गम क्षेत्र स्थित बस्तियों व परिवारों को घरेलू तथा अन्य उपयोगों के लिए ऊर्जा उपलब्धत कराई जा रही है। ऊर्जा संरक्षण की दिशा में भी कदम उठाये जा रहे हैं। वर्ष 2013–14 में वैकल्पिक ऊर्जा हेतु लगभग रु0 6 करोड़ तथा ऊर्जा क्षेत्र हेतु लगभग रुपये छः सौ पैंतालीस करोड़ का प्राविधान है।

सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं लघु सिंचाई :

कृषि क्षेत्र में विकास वृद्धि दर को सुनिश्चित करने में सिंचाई, लघु सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण योजनाओं का योगदान महत्वपूर्ण है। नाबार्ड ऋण सहित केन्द्र पोषित त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम अर्थात ए0आई0बी0पी0 व अन्य योजनाओं के अधीन सिंचन क्षमता में वृद्धि व सींच में विस्तार के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। खेती के व्यवसायीकरण हेतु नई तकनीकी आधारित सिंचाई प्रणाली को अपनाए जाने की भी आवश्यकता है ताकि सीमित जल संसाधन व अन्य कारणों से उपलब्ध जल का अधिकतम लाभ लिया जा सके। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए गहरी बोरिंग एवं विद्युत संयोजन हेतु अनुदान की व्यवस्था भी की जा रही है।

वर्ष 2013–14 में सिंचाई, लघु सिंचाई एवं बाढ़ सुरक्षा कार्यों हेतु लगभग रुपये एक हजार एक सौ बत्तीस करोड़ का प्राविधान है।

पेयजलः

पेयजल मानव एवं पशुओं की मूलभूत आवश्यकता है। राज्य सरकार जनता को पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए प्रयासरत है। स्वच्छता एवं जलोत्सारण कार्य भी जल से जुड़े हैं। जल संरक्षण, संवर्द्धन एवं वर्षा जल दोहन के लिए भी प्रयास किये जा रहे हैं। नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों तथा अनुसूचित जाति व जनजाति बस्तियों में जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु राज्य सैक्टर से हैण्ड पम्प अधिष्ठापन करना भी प्रस्तावित है।

शहरी विकास विभाग के अधीन बाह्य सहायतित एवं केन्द्र पोषित योजनाओं अन्तर्गत वित्त पोषित की जाने वाली जलोत्सारण व पेयजल योजनाओं के अतिरिक्त वर्ष 2013–14 में पेयजल, जलोत्सारण तथा सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यों हेतु लगभग रुपये पॉच सौ अट्ठासी करोड़ का प्राविधान है।

सड़क एवं सेतुः

राज्य में सड़क यातायात प्रमुख एवं महत्वपूर्ण होने के कारण सड़कों व सेतुओं के निर्माण, उनके चौड़ीकरण, उच्चीकरण तथा अनुरक्षण के लिए सरकार प्रयत्नशील है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अतिरिक्त राज्य सैक्टर से भी गाँवों तक पहुँच सुनिश्चत करने के प्रयास किये जा रहे हैं। अधिक यातायात दबाव वाले नगर क्षेत्रों व अन्य स्थलों में यातायात सुव्यवस्थित करने हेतु विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अतिरिक्त सड़कों एवं पुलों सहित विभिन्न लोक निर्माण कार्यों हेतु वर्ष 2013–14 में लगभग रुपये एक हजार चार सौ चालीस करोड़ का प्राविधान है।

औद्योगिक विकासः

राज्य में ऊँची विकास वृद्धि दर सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार औद्योगिक निवेश तथा स्थापित औद्योगिक ईकाइयों के सफलतापूर्वक संचालन के लिए सतत् प्रयासरत है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में

रोजगार के अवसरों के महत्व को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा इस हेतु पृथक विभाग गठित किया गया है। साथ ही भारत सरकार की क्लस्टर विकास योजना अन्तर्गत फार्मास्यूटिकल एवं आटोकम्पोनैन्ट क्लस्टर विकसित करने के प्रयास किये जा रहे हैं। उद्यमिता विकास तथा कौशल विकास कार्यक्रमों सहित सामूहिक सुविधा केन्द्र व प्रशिक्षण सुविधाएँ दी जा रही हैं। अवैध खनन गतिविधियों को रोकने तथा खनन से राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार प्रयत्नशील है।

वर्ष 2013–14 में औद्योगिक विकास सम्बन्धी क्रियाकलापों के लिए लगभग रुपये एक सौ चार करोड़ का प्राविधान है।

आवास एवं शहरी विकास :

विश्व के अन्य देशों सहित हमारे देश में भी शहरी क्षेत्रों की आबादी में तेजी से वृद्धि हो रही है जबकि शहरी क्षेत्रों से बाहर कतिपय क्षेत्रों में भी नियोजित विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना आवश्यक

है। विभिन्न केन्द्र पोषित तथा वाह्य सहायतित योजनाओं सहित नगरीय क्षेत्रों में पेयजल, जलोत्सारण, अवस्थापना सुविधाएँ, आवासीय योजनाएँ विकसित की जा रही हैं। रोजगार सृजन तथा इस हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जा रही है। शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। कोटद्वार में लोक निजी सहभागिता से बस टर्मिनस–सह–कामर्शियल कम्पलैक्स के निर्माण हेतु प्रयत्न किया जा रहा है। देहरादून नगर में यातायात व्यवस्था सुव्यवस्थित करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। आवास नीति माध्यम से समुचित संस्थागत व्यवस्थाएँ एवं गरीबों के लिए वहन योग्य आवास उपलब्धता के प्रयास किये जा रहे हैं।

वर्ष 2013–14 में शहरी विकास तथा आवास विभाग हेतु रुपये पाँच सौ सतासी करोड़ का प्राविधान है।

समाज कल्याणः

अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग सहित वृद्धजनों, निराश्रित विधवाओं,

निराश्रितों, निःशक्तजनों के कल्याण हेतु सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्तियाँ, छात्रावास सुविधाएँ, कोचिंग सुविधा एवं निराश्रित विधवाओं, वृद्धों तथा विकलांगों को मासिक पेंशन, विधवाओं की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान आदि क्रिया कलाप संचालित हो रहे हैं। अल्प संख्यकों हेतु एम0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत रु0 35 करोड़ का प्राविधान तथा विभिन्न अवस्थापना कार्यों हेतु रु0 4 करोड़ की निधि की व्यवस्था की जा रही है।

समाज कल्याण सम्बन्धी विभिन्न गतिविधियों हेतु वर्ष 2013–14 में लगभग रुपये सात सौ अस्सी करोड़ का प्राविधान है।

सैनिक कल्याणः

देश की सैन्य सेवाओं में उत्तराखण्ड का महत्वपूर्ण योगदान सदा से रहा है। उत्तराखण्ड न केवल बहादुर सैनिक देश की सेवा को देता रहा है बल्कि उच्च

पदों सहित सेनाध्यक्ष के स्तर पर भी हमारे काबिल सपूतों ने योगदान कर हमारा गौरव बढ़ाया है। पूर्व में स्व0 बी0सी0 जोशी के थल सेनाध्यक्ष का पद सुशोभित करने के उपरान्त वर्तमान में श्री डी0के0जोशी नौसेनाध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं। वर्तमान में राज्य के लगभग 63 हजार सैनिक सशस्त्र सेना में कार्यरत हैं जबकि लगभग एक लाख तिरपन हजार पूर्व सैनिक एवं दिवंगत सैनिकों की विधवाएँ पंजीकृत हैं। पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों के प्रशिक्षण एवं रोजगार के लिए सरकार प्रयासरत है।

सैनिक कल्याण हेतु वर्ष 2013–14 में लगभग रु0 33 करोड़ का प्राविधान है।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकासः

महिला साक्षरता, बच्चों व गर्भवती माताओं का कुपोषण से बचाव, शिशु मृत्यु दर को कम करने तथा कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के प्रमुख कार्यक्रमों सहित सरकार द्वारा महिला

सशक्तिकरण एवं बाल विकास के लिए विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं।

वर्ष 2013–14 में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग हेतु लगभग **रुपये पॉच सौ पचपन करोड़ का प्राविधान है।**

जलागमः

जल, जंगल, जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों का सुनियोजित रूप से उपयोग कर स्थानीय संसाधनों का समुचित प्रबन्धन करते हुए पर्यावरण मैत्री संपोषणीय विकास, स्थानीय आर्थिकी में सुधार एवं रोजगार व आजिविका सृजन हेतु जलागम प्रबन्धन कार्यक्रमों की उपयोगी भूमिका है। इन कार्यक्रमों में ग्राम पंचायतों सहित सामुदायिक सहभागिता का उपयोग करते हुए स्थानीय क्षमता वृद्धि व कौशल विकास के अवसर भी प्राप्त हो रहे हैं। विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना (ग्राम्या) के द्वितीय चरण को क्रियान्वित करने की सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हो चुकी है तथा इसका

क्रियान्वयन वर्ष 2013–14 में ही प्रारम्भ करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

वर्ष 2013–14 में जलागम कार्यों हेतु लगभग रु0 59 करोड़ का प्राविधान है।

वन एवं पर्यावरणः

वन, वन्य जीव, जैव विविधता व पर्यावरण की दृष्टि से उत्तराखण्ड राज्य का विशिष्ट स्थान है और साथ ही हम पर वनों, वन्य जीवों तथा पर्यावरण के संरक्षण व संवर्द्धन की भारी जिम्मेदारी भी है। यद्यपि राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 65 प्रतिशत भाग में वन क्षेत्र है तथापि हमें वनों का संरक्षण व संवर्द्धन करते हुए इनसे समुचित राजस्व प्राप्ति के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है जबकि साथ ही विकास कार्यों के लिए भूमि हस्तान्तरण के प्रस्तावों में गति लाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

'कैम्पा' अन्तर्गत क्रियान्वित किये जाने वाले कार्यों के लिए उपलब्ध धनराशि के अतिरिक्त वर्ष 2013–14

में वन एवं पर्यावरण कार्यों हेतु लगभग रुपये चार सौ पैंतालीस करोड़ का प्राविधान है।

कृषिः

राज्य गठन उपरान्त विगत वर्षों में विभिन्न विकास कार्यक्रमों के फलस्वरूप यद्यपि शुद्ध कृषि क्षेत्र में कमी हुई है तथापि कुल खाद्यान्न उत्पादन में दो लाख मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है। प्रदेश में कुल कृषि क्षेत्र का लगभग 55 प्रतिशत वर्षा आधारित पर्वतीय क्षेत्रान्तर्गत है जहाँ जैविक खेती व दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाना प्रस्तावित है। किसान मेला, फसलीय कृषि महोत्सवों एवं 'आतमा' परियोजनान्तर्गत किसान सलाहकार समितियों के माध्यम से कृषि तथा उन्नत तकनीकी विधियों सम्बन्धी प्रसार किया जा रहा है। कृषि शोध, नई प्रजातियों का विकास प्रजनक बीज उत्पादन तथा बीज प्रमाणीकरण की गतिविधियों को भी पर्याप्त महत्व दिया जा रहा है।

कृषि के लिए वर्ष 2013–14 में लगभग रुपये तीन सौ पचहत्तर करोड़ का प्राविधान है।

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योगः

विभिन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत राज्य में गन्ना विकास तथा चीनी उद्योग के समक्ष विशेष चुनौती है। सरकारी तथा सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है जिस कारण वर्ष दर वर्ष गन्ना मूल्य भुगतान हेतु राज्य सरकार से चीनी मिलों को ऋण देना पड़ रहा है। इन चीनी मिलों के आधुनिकीकरण करने हेतु वित्त पोषण संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिए वर्ष 2013–14 में चीनी मिलों को अब तक दिये गये ऋणों को अंशपूजी में परिवर्तित करने का विचार है ताकि इनकी वित्तीय स्थिति में सुधार हेतु प्रयास किया जा सके।

गन्ना विकास तथा चीनी उद्योग सम्बन्धी कार्यों हेतु वर्ष 2013–14 में लगभग रुपये सात सौ अट्ठारह करोड़ का प्राविधान है।

औद्यानिकीः

राज्य में कृषि योग्य भूमि सीमित है जिसमें से औद्यानिक फसलों का क्षेत्रफल काफी कम है। राज्य की भौगोलिक परिस्थतियों व जलवायु के दृष्टिगत एवं अन्य कारणों से कृषि योग्य भूमि का अधिकतम एवं लाभकारी उपयोग औद्यानिक व औषधीय फसलों से लिया जा सकता है। राज्य सरकार फलों, सब्जियों, जड़ी–बूटी के उत्पादन को बढ़ावा देने, प्रशिक्षण देने, प्रचार–प्रसार करने एवं उत्तर फसल प्रबन्धन सहित खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन अन्तर्गत राज्य में खाद्य प्रसंस्करण की परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

वर्ष 2013–14 में औद्यानिकी क्रिया–कलापों के लिए लगभग रुपये एक सौ अट्ठावन करोड़ का प्राविधान है।

पशुपालन, डेयरी विकास तथा मत्स्य पालनः

कृषि के साथ पशुपालन, डेयरी विकास तथा मत्स्य पालन राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिकी व आजीविका के प्रमुख अंग हैं। पशुओं में नस्ल सुधार, टीकारण, चिकित्सा सुविधा, चारा व्यवस्था, पौष्टिक आहार उपलब्धता, दुग्ध एकत्रीकरण व विपणन सहित प्रचार–प्रसार व सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न क्रियाकलाप संचालित किये जा रहे हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति परिवारों की महिला मुखिया को बकरी, भेड़ व गौ पालन हेतु प्रोत्साहन की नई योजना प्रारम्भ की जा रही है। मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य बीज वितरण, तालाबों का निर्माण व सुधार सहित मत्स्य बीज उत्पादन आदि क्रियाकलाप प्रस्तावित हैं।

वर्ष 2013–14 में पशुपालन, डेयरी विकास तथा मत्स्य पालन हेतु लगभग रुपये एक सौ अट्ठावन करोड़ का प्राविधान है।

सहकारिताः

सहकारिता सिद्धान्त सीमित साधनों एवं संसाधनों का अधिकतम् उपयोग कर लागत को नियंत्रित करते हुए अधिक उत्पादन एवं लाभ प्राप्त करने के लिए अत्यन्त उपयोगी है। सहकारी संस्थाओं के माध्यम ऋण एवं निवेश की उपलब्धता आसानी से वहनीय दरों में सुनिश्चित करने के अतिरिक्त उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण एवं आपूर्ति और समर्थन मूल्य आधार पर खाद्यान्न क्रय तथा भण्डारण का कार्य भी सहकारी संस्थाओं के माध्यम किया जा रहा है। 97वें संविधान संशोधन अन्तर्गत सहकारिता क्षेत्र हेतु सरकार यथा आवश्यक व्यवस्थाएँ कर रही है।

सहकारिता के लिए वर्ष 2013–14 में लगभग रु0 45 करोड़ का प्राविधान है।

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा आयुषः राज्य सरकार आम जनता को प्राथमिक,

द्वितीय एवं तृतीय स्तर की चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न प्रयास कर रही है। शिशु एवं मातृ मृत्यु दर को अनुमन्य मानक स्तर तक कम करना तथा लिंग अनुपात को सुधारना भी राज्य के समक्ष चुनौती है जिस हेतु राज्य सरकार उपाय कर रही है। वर्तमान में पी0पी0पी0 माध्यम से संचालित की जा रही कतिपय चिकित्सा सेवाओं व सुविधाओं की सफलता के क्रम में आगे इस व्यवस्था से चिकित्सा सेवाओं तथा सुविधाओं का विस्तार किया जाना भी प्रस्तावित है। बागेश्वर में ब्लड बैंक सहित उत्तरकाशी व बागेश्वर में ट्रामा सेन्टर को क्रियाशील करना प्रस्तावित है। वैकल्पिक चिकित्सा व स्वास्थ सेवाओं के लिए आयुर्वेद तथा होम्योपैथी पद्धति को भी संचालित किया जा रहा है।

वर्ष 2013–14 में चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा आयुष विभाग अन्तर्गत लगभग रुपये आठ सौ छियासठ करोड़ का प्राविधान है।

चिकित्सा शिक्षाः

राज्य में चिकित्सकों की कमी को दूर करते हुए चिकित्सकीय सेवाओं को सुदृढ़ करने और युवाओं को चिकित्सकीय सेवा हेतु प्रशिक्षण प्राप्त करने के अवसर बढ़ाने के लिए राज्य सरकार प्रयत्नशील है। चिकित्सा शिक्षा की बढ़ती हुई गतिविधियों के दृष्टिगत चिकित्सा शिक्षा निदेशालय को पूर्णतः स्थापित कराया जा रहा है। वर्तमान निर्माणाधीन व प्रस्तावित मेडिकल एवं नर्सिंग कालेजों की स्थापना के प्रयास किये जा रहे हैं।

वर्ष 2013–14 में चिकित्सा शिक्षा हेतु रुपये चार सौ तीस करोड़ का प्राविधान है।

विद्यालयी शिक्षाः

यद्यपि राज्य में साक्षरता दर लगभग 80 प्रतिशत है तथापि इसमें वृद्धि करने एवं विशेषकर छात्राओं की साक्षरता दर में वृद्धि कर छात्रों की साक्षरता दर के आसपास ला कर साक्षरता में लिंग अन्तर को कम करने के लिए सरकार विभिन्न प्रयास कर रही है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अधीन सामाजिक एवं

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के 25 प्रतिशत बच्चों को निजी स्कूलों में शिक्षा का अवसर प्रदान करने के लिए राज्य सरकार शुल्क प्रतिपूर्ति कर रही है। यह हर्ष का विषय है कि इस कार्यक्रम अन्तर्गत निजी स्कूलों में छात्रों के प्रवेश में वर्ष दर वर्ष वृद्धि हो रही है। सरकार प्रयासरत है कि इस कार्यक्रम का लाभ और अधिक छात्र प्राप्त कर सकें। छात्राओं को इण्टर तक अध्ययन पूर्ण करने तथा शाला त्याग की प्रवृत्ति पर नियंत्रण करने के लिए मुफ्त साइकिल योजना प्रस्तावित की गई है। निर्माणाधीन कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों, राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों तथा अन्य निर्माणाधीन विद्यालय भवनों को पूर्ण कराने का प्रयास किया जा रहा है। राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों सहित कतिपय प्राथमिक विद्यालयों को पी0पी0पी0 प्रारूप में संचालित करने का विचार है। विद्यालयों एवं शैक्षिक गतिविधियों के आनलाइन अनुश्रवण हेतु एजुकेशनल पोर्टल तथा काल सेन्टर आधारित उपस्थिति सूचना प्रणाली प्रस्तावित है।

वर्ष 2013–14 में विद्यालयी शिक्षा हेतु लगभग रुपये चार हजार चार सौ सोलह करोड़ का प्राविधान है।

उच्च शिक्षाः

प्रदेश में उच्च शिक्षा के विकास हेतु राज्य सरकार प्रयासरत है। निजी विश्वविद्यालयों के माध्यम से उच्च शिक्षा के विस्तार का मार्ग भी प्रशस्त किया जा रहा है। स्ववित्त पोषित कतिपय पाठ्यक्रमों के साथ–साथ पी0पी0पी0 प्रारूप अन्तर्गत भी महाविद्यालयों के संचालन का प्रयास किया जाना प्रस्तावित है।

उच्च शिक्षा हेतु वर्ष 2013–14 में लगभग रुपये दो सौ चौंतीस करोड़ का प्राविधान है।

तकनीकी शिक्षा तथा प्रशिक्षणः

राज्य के युवाओं को बेहतर रोजगार प्राप्त करने योग्य तैयार करने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, पॉलीटेक्निकों, इन्जीनियरिंग कालेजों एवं तकनीकी विश्वविद्यालयों के माध्यम से कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण की

समुचित व्यवस्था करने के लिए सरकार प्रयासरत है। वर्ष 2013–14 में कतिपय नये पॉलीटेक्निक स्थापित किये जाने प्रस्तावित हैं।

तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग हेतु वर्ष 2013–14 में लगभग दो सौ तीन करोड़ का प्राविधान है।

संस्कृतिः

राज्य की ऐतिहासिक, पौराणिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण व संवर्द्धन सहित संस्कृति के विकास तथा सांस्कृतिक विरासत के रखरखाव तथा उन्नयन हेतु लोक संगीत, लोकनृत्य, लोककला का विकास और प्रचार–प्रसार के लिए सरकार कार्य कर रही है। पुरातात्विक स्थलों तथा स्मारकों का सर्वेक्षण, संरक्षण एवं अनुरक्षण और प्राचीन अभिलेखों व पाण्डुलिपियों का संग्रहण तथा संरक्षण के प्रयास भी किये जा रहे हैं। शास्त्रीय एवं लोक संगीत के विकास हेतु इन विधाओं की शिक्षा भी प्रदान की जा रही है। तेरहवें वित्त आयोग के

अन्तर्गत देहरादून में संग्रहालय तथा सभागार की स्थापना प्रस्तावित है।

वर्ष 2013–14 में संस्कृति विभाग के लिए रु0 62 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

खेल एवं युवा कल्याणः

राज्य में खेलों के विकास तथा खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु सरकार प्रयासरत है। खेल कार्यक्रमों के आयोजन के साथ ही खेल सम्बन्धी अवस्थापना सुविधाओं के सृजन, उच्चीकरण एवं विस्तारीकरण पर भी ध्यान दिया जा रहा है। स्पोर्टस कालेज देहरादून परिसर में अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम एवं स्पोर्ट्स काम्प्लैक्स तथा हल्द्वानी में स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण प्रस्तावित है। शहरी खेल अवस्थापना सुविधाओं के सृजन हेतु रु0 17 करोड़ का प्राविधान किया गया है। विशेष आयोजनागत सहायता के अधीन देहरादून में एस्ट्रोटर्फ, सिन्थेटिक ट्रैक, बहुउद्देशीय क्रीड़ा हाल आदि प्रस्तावित है।

ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधाओं का विकास तथा खेल प्रतिभाओं को चिन्हीकरण कर उन्हें खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। युवक तथा महिला मंगल दलों के माध्यम से सामाजिक जागरूकता एवं विकास कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार किया जा रहा है जबकि प्रान्तीय रक्षक दल के माध्यम से प्रशिक्षित एवं अनुशासित युवाओं की भागीदारी राज्य की उन्नति में प्राप्त की जा रही है।

वर्ष 2013–14 में खेल एवं युवा कल्याण हेतु लगभग रु0 85 करोड़ का प्राविधान है।

सूचना एवं लोक सम्पर्कः

सरकार की नीतियों, जनकल्याणकारी योजनाओं एवं गतिविधियों का जनता के मध्य प्रचार प्रसार और जनता की प्रतिक्रियाओं, भावनाओं व आकांक्षाओं को सरकार तक पहुँचाने में संचार माध्यमों, पत्रकारों तथा अन्य माध्यमों का महत्वपूर्ण योगदान है। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग इस व्यवस्था में समन्वय

स्थापित करने तथा पत्रकारों व मीडिया के हितों और कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु प्रयासरत है।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग हेतु वर्ष 2013–14 में लगभग रु0 36 करोड़ का प्राविधान है।

गृह एवं आन्तरिक सुरक्षाः

राज्य में अपराधों पर नियंत्रण, शान्ति व्यवस्था तथा आन्तरिक सुरक्षा का दायित्व सामान्यतया पर्वतीय भूभाग में मुख्यतः राजस्व पुलिस तथा शेष भूभाग में नियमित पुलिस द्वारा निर्वहन किया जा रहा है। इन कार्यों तथा जिम्मेदारियों में जनता की महत्वपूर्ण सहभागिता तथा उनका विशेष योगदान है। नरेन्द्र नगर में स्थापित पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय में प्रशिक्षण को सुदृढ़ करने का प्रयास है। पुलिस हेतु आवासीय व अनावासीय भवनों, उपकरणों तथा अन्य सुविधाओं को भी सुनिश्चित कराया जाना है। इस सम्बन्ध में पुलिस बल का आधुनिकीकरण तथा तेरहवें वित्त आयोग सहित राज्य

सरकार के अपने संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है। पुलिस संचार तथा अग्नि शमन व्यवस्थाओं का सुव्यवस्थित संचालन एवं सुदृढ़ीकरण भी किया जाना प्रस्तावित है। विभिन्न कारागारों के निर्माण व अनुरक्षण के साथ–साथ कारागारों के सुव्यवस्थित संचालन एवं बन्दियों को सुधार का अवसर देकर उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

वर्ष 2013–14 में पुलिस विभाग हेतु लगभग रुपया नौ सौ अड़तालीस करोड़, होमगार्डस हेतु लगभग रु0 33 करोड़ तथा कारागार हेतु लगभग रु0 38 करोड़ का प्राविधान है।

राजस्वः

राजस्व अभिलेखों का रख–रखाव तथा उन्हें अद्यावधिक करने और राजस्व सम्बन्धी वादों के निस्तारण सहित पर्वतीय क्षेत्र के अधिकांश भूभाग में अपराध नियंत्रण कार्य राजस्व विभाग के अधीन संचालित किया जा रहा है। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (NLRMP) अन्तर्गत समस्त राजस्व अभिलेखों

का डिजिटाईजेशन, आधुनिक अभिलेखागारों की स्थापना सहित ऑनलाइन दाखिल खारिज सुविधा और राजस्व अभिलेखों की इन्टरनेट से उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया है जिसका शीघ्र क्रियान्वयन प्रारम्भ करना प्रस्तावित है। विकास कार्यों हेतु वन भूमि हस्तान्तरण के प्रकरणों में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सिविल सोयम भूमि वन विभाग को दिये जाने के सम्बन्ध में गति लाने के लिए जिलाधिकारियों एवं मण्डलायुक्तों को अधिकार प्रतिनिधायित कर दिये गये हैं। तहसील, कलेक्ट्रेट, पटवारी चौकी आदि भवनों के निर्माण हेतु भी समुचित प्राविधान किया जा रहा है। राजस्व विभाग हेतु वर्ष 2013–14 में रुपये दो सौ सत्तर करोड़ का प्राविधान है।

आपदा प्रबन्धनः

प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से अतिसंवेदनशील इस राज्य में त्वरित राहत कार्य सहित

पूर्व तैयारी, जागरूकता, जानकारी, प्रशिक्षण तथा आपदा न्यूनीकरण उपायों के लिए सरकार प्रयासरत है। राज्य में राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन दल की बटालियन स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। भारत सरकार के मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से प्राकृतिक आपदाओं का पूर्वानुमान लगाने हेतु सी–बैण्ड डाप्लर वैदर रडार की स्थापना का भी प्रयास किया जा रहा है।

वर्ष 2013–14 में आपदा प्रबन्धन के लिए लगभग रुपये एक सौ साठ करोड़ का प्राविधान है।

पंचायती राजः

राज्य में पंचायतीराज व्यवस्था को सुव्यवस्थित एवं सुदृढ़ करने के लिए सरकार प्रयासरत है। पंचायत प्रतिनिधियों को पंचायतीराज व्यवस्था एवं अन्य आवश्यकताओं हेतु प्रशिक्षित करने का प्रयत्न भी किया जा रहा है। बी0आर0जी0एफ0 योजना अन्तर्गत वर्ष 2013–14 में लगभग रु0 56 करोड़ का प्राविधान है। भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान का राज्य सरकार द्वारा समुचित

उपयोग कर पंचायतों का सशक्तिकरण करना प्रस्तावित है। इस योजनान्तर्गत रु0 36 करोड़ का प्राविधान है।

वर्ष 2013–14 में पंचायती राज विभाग अन्तर्गत लगभग रु0 86 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

ग्राम्य विकासः

विभिन्न केन्द्र पोषित एवं वाह्य सहायतित योजनाओं तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य योजनाओं को क्रियान्वित करते हुए सरकार ग्रामीण क्षेत्रों का विकास, गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन तथा आजीविका अवसर उपलब्ध कराने आदि के लिए प्रयत्नशील है। सीमान्त क्षेत्र विकास खण्डों में केन्द्र पोषित बी0ए0डी0पी0 योजना तथा तेरहवें वित्त आयोग अन्तर्गत विभिन्न कार्य किये जाने का प्रस्ताव है। समेकित आजीविका सहयोग परियोजना माध्यम ग्रामीण क्षेत्रों में निरन्तर आजीविका अवसर प्रदान करने और महिलाओं के

श्रम को कम करने का प्रयास है। वर्ष 2012–13 के क्रम में सीमान्त तथा पिछड़े विकास खण्डों के लिए सीमान्त एवं पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि अन्तर्गत इस वर्ष भी प्राविधान रखा गया है। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, इन्दिरा आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना तथा स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना का अधिकाधिक लाभ उठाया जाना प्रस्तावित है।

वर्ष 2013–14 में ग्राम विकास विभाग के अधीन लगभग रुपया नौ सौ दस करोड़ का प्राविधान है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकीः

राज्य का विकास सुनियोजित तथा वैज्ञानिक रूप से करने के साथ–साथ राज्य की जैव विविधता, भौगोलिक परिस्थितियों का आधुनिक तकनीकी तथा ज्ञान आधारित इष्टतम लाभ एवं संसाधनों का संपोषणीय आधार पर उपयोग करने हेतु सरकार प्रयासरत है। साथ ही समाज में प्रत्येक स्तर पर वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने का भी प्रयत्न किया जा रहा है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग अन्तर्गत वर्ष 2013–14 में लगभग रु0 16 करोड़ का प्राविधान है।

सूचना प्रौद्योगिकीः

वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व एवं उपयोगिता के दृष्टिगत इसका समावेश सरकार के सभी क्रियाकलापों में करना आवश्यक है ताकि आंकड़ों की सटीकता, कार्यों का त्वरित निपटारा, सूचनाओं की जनता के द्वार तक त्वरित पहुँच व आदान–प्रदान, विश्वसनीयता, कार्य कुशलता एवं पारदर्शिता आदि सहित ई–शासन माध्यम से सुशासन की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा सके। इस सम्बन्ध में मिशन मोड परियोजनाओं के माध्यम से विभिन्न विभागों का कम्प्यूटरीकरण, राज्य स्तरीय डाटा सेन्टर की स्थापना, कॉमन सर्विस सेन्टर की स्थापना सहित हॉरीजन्टल कनेक्टीविटी के प्रयास जारी हैं जबकि वर्टिकल कनेक्टीविटी हेतु 'स्वान' (SWAN) संचालित किया जा रहा है। ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना का क्रियान्वयन तथा स्टेट डिलीवरी गेटवे व राज्य पोर्टल की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। ई–टेण्डरिंग का कार्य

सफलता पूर्वक प्रारम्भ कर दिया गया है जिसका सुदृढ़ीकरण तथा विस्तार करना प्रस्तावित है।

वर्ष 2013–14 में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग हेतु लगभग रु0 32 करोड़ का प्राविधान है।

पर्यटनः

आर्थिक विकास तथा रोजगार सृजन हेतु पर्यटन गतिविधियों का राज्य के लिए विशेष महत्व है। राज्य में पर्यटन की अपार सम्भावनाएँ हैं जिनका चिन्हीकरण कर सुनियोजित आधार पर विकास करना वांछित है एवं साथ ही समुचित पर्यटन विपणन तथा प्रचार–प्रसार सहित सरकारी व निजी क्षेत्र के साथ–साथ लोक निजी सहभागिता आधार पर राज्य में पर्यटन विकास अपेक्षित है। सरकार इस दिशा में प्रत्येक स्तर पर कार्य कर रही है। पर्यटन गतिविधियों की दृष्टि से विशिष्ट क्षेत्रों हेतु टूरिज्म एरिया विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण गठन के प्रयास किये जा रहे हैं। पर्यटन विकास हेतु मास्टर प्लान बना कर एशियन डेवलपमेन्ट

बैंक के वित्त पोषण से परियोजना प्रारम्भ की गई है। विभिन्न केन्द्र पोषित व तेरहवें वित्त आयोग अन्तर्गत योजनाओं का क्रियान्वयन भी किया जा रहा है। कठिन पैदल यात्रा मार्गों एवं महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के लिए रोप–वे परियोजनाओं का क्रियान्वयन प्रस्तावित है।

पर्यटन गतिधियों हेतु वर्ष 2013–14 में लगभग रुपया एक सौ चौवालीस करोड़ का प्राविधान किया गया है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्तिः

राज्य सरकार निर्धारित मूल्य पर खाद्यान्न व अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति एवं वितरण सहित खाद्यान्न और चीनी का भण्डारण, मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत खाद्यान्न क्रय का कार्य नियमित रूप से कर रही है। उपभोक्ताओं को सही मापतौल पर वस्तुओं की उपलब्धता तथा उपभोक्ता शिकायतों का निस्तारण की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़, पारदर्शी तथा जिम्मेदार बनाने

के लिए इस व्यवस्था के कम्प्यूटरीकरण का कार्य प्रारम्भ किया गया है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग अन्तर्गत वर्ष 2013–14 में लगभग रुपया दौ सौ चालीस करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।

श्रम, प्रशिक्षण एवं सेवायोजनः

राज्य सरकार श्रमिकों के हितों को सुनिश्चित करने के लिए श्रम कानूनों के अन्तर्गत प्रवर्तन कार्य के साथ–साथ सेवायोजकों व श्रमिकों के मध्य सौहार्दपूर्ण वातावरण स्थापित करने एवं राज्य में उत्पादन तथा उत्पादकता को बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। बेरोजगारों का पंजीकरण कर उन्हें रोजगार प्राप्त करने के प्रयास सहित बेरोजगारों को भत्ता भी दिया जा रहा है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के लाभार्थियों हेतु अतिरिक्त चिकित्सालयों की स्थापना सहित वर्तमान व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाना प्रस्तावित है।

श्रम एवं सेवायोजन विभाग के अन्तर्गत वर्ष 2013–14 में लगभग रुपया एक सौ छब्बीस करोड़ का प्राविधान है।

नियोजनः

राज्य सरकार क्षेत्रीय तथा कार्यक्षेत्र स्तर पर संतुलित विकास को सुनिश्चित करने के साथ–साथ राज्य के समग्र विकास के लिए प्रयासरत है। इस हेतु नियोजन विभाग के माध्यम से योजनाओं की प्राथमिकता निर्धारण सहित अनुश्रवण, मूल्यांकन, सत्यापन एवं गुणवत्ता नियंत्रण के सतत् प्रयत्न किये जा रहे हैं। समुचित नियोजन हेतु अर्थ एवं संख्या विभाग के माध्यम से विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण किये जा रहे हैं और आकड़ों का एकत्रीकरण तथा विश्लेषण का कार्य सतत् रूप से किया जा रहा है।

मान्यवर,

अब मैं, वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक अनुमानों के प्रमुख आकड़ों का उल्लेख करना चाहूँगी।

वर्ष 2013–14 में कुल प्राप्तियाँ रुपया चौबीस हजार नौ सौ चालीस करोड़ इक्तीस लाख अनुमानित है **जिसमें रुपया अट्ठारह हजार नौ सौ पचपन करोड़ बहत्तर लाख राजस्व प्राप्तियाँ तथा** रुपया पॉच हजार नौ सौ चौरासी करोड़ उन्सठ लाख पूंजीगत प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं।

वित्तीय वर्ष 2013–14 में राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व रुपया ग्यारह हजार सात करोड़ इक्यासी लाख है। इसमें केन्द्रीय करों में राज्य का अंश रुपया तीन हजार आठ सौ छियानवे करोड़ उन्तालीस लाख सम्मिलित है।

राज्य के स्वयं के स्रोतों से कुल अनुमानित राजस्व प्राप्ति रुपया आठ हजार तीन सौ सत्ताईस करोड़ अड़सठ लाख में कर

राजस्व रुपया सात हजार एक सौ ग्यारह करोड़ बयालीस लाख तथा करेत्तर राजस्व रुपया एक हजार दो सौ सोलह करोड़ छब्बीस लाख अनुमानित है।

व्ययः

वर्ष 2013–14 में ऋणों के प्रतिदान पर रुपया दो हजार एक सौ बावन करोड़ उन्यासी लाख, ब्याज की अदायगी के रूप में

रुपया दौ हजार पॉच सौ चालीस करोड़ पचासी लाख, राज्य कर्मचारियों के वेतन–भत्तों आदि पर लगभग रुपया सात हजार दौ सौ तिरपन करोड़ चौहत्तर लाख, सहायता प्राप्त शिक्षण व अन्य संस्थाओं के शिक्षकों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों के रूप में लगभग रुपया पॉच सौ तिरानवे करोड़ इक्कीस लाख, पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्तिक लाभों के रूप में रुपया एक हजार नौ सौ नवासी करोड़ पचपन लाख व्यय अनुमानित है।

वर्ष 2013–14 में अनुमानित कुल व्यय रुपया पचीस हजार तीन सौ उन्तीस करोड़ चौरासी लाख में रुपया अट्ठारह हजार चौवन करोड़ बीस लाख राजस्व लेखे तथा रुपया सात हजार दो सौ पचहत्तर करोड़ चौसठ लाख पूंजी लेखे का व्यय है। कुल व्यय में रुपया आठ हजार सात सौ दस करोड़ अड़तीस लाख आयोजनागत एवं रुपया सोलह हजार छः सौ उन्नीस करोड़ छियालीस लाख आयोजनेत्तर

पक्ष में प्रस्तावित है। कुल राजस्व व्यय में रुपया तीन हजार छः सौ इक्तीस करोड़ तेइस लाख आयोजनागत पक्ष एवं रुपया चौदह हजार चार सौ बाईस करोड़ सत्तानवे लाख आयोजनेत्तर पक्ष में अनुमानित है जबकि कुल पूंजीगत व्यय में रुपया पॉच हजार उन्यासी करोड़ पन्द्रह लाख आयोजनागत पक्ष में एवं दो हजार एक सौ छियानवे करोड़ उन्चास लाख आयोजनेत्तर पक्ष में अनुमानित है।

समेकित निधि का घाटा :

समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ रुपया चौबीस हजार नौ सौ चालीस करोड़ इक्तीस लाख में कुल व्यय रुपया पच्चीस हजार तीन सौ उन्तीस करोड़ चौरासी लाख घटाने के पश्चात् वर्ष 2013–14 में रुपया तीन सौ नवासी करोड़ तिरपन लाख का घाटा अनुमानित है।

राजकोषीय समेकन सूचकः

वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक प्रस्ताव के आधार पर कोई राजस्व घाटा अनुमानित नहीं है बल्कि रुपया नौ सौ एक करोड़ बावन लाख का राजस्व सरप्लस सम्भावित है जबकि रुपया तीन हजार पॉच सौ छत्तीस करोड़ चौहत्तर लाख का राजकोषीय घाटा होने का अनुमान है। उक्तानुसार अनुमानित राजकोषीय घाटा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम के अधीन निर्धारित लक्ष्य की सीमान्तर्गत है।

लोक–लेखा से समायोजनः

वर्ष 2013–14 में समेकित निधि का घाटा पूरा करने के लिए रु0 400 करोड़ लोक–लेखा से समायोजित किये जायेंगे।

अन्तिम शेष :

वर्ष 2013–14 के अनुमानित प्रारम्भिक शेष रुपया चार करोड़ इक्यासी लाख तथा वर्ष की प्राप्तियों एवं व्यय पश्चात् अन्तिम शेष रुपया पैंसठ करोड़ अट्ठाईस लाख रहना अनुमानित है।

मान्यवर,

अन्त में, मैं मा0 मुख्यमंत्री जी को उनके मार्गदर्शन के लिए तथा मंत्रिमण्डल के अपने अन्य सहयोगियों के प्रति उनके सहयोग तथा परामर्श के लिए आभार प्रकट करना चाहती हूँ। वित्त विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बजट तैयार करने में जो सहायता मुझे दी है उसके लिए मैं, उनका हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। मैं महालेखाकार, उत्तराखण्ड एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहायता के

लिए भी कृतज्ञ हूँ। मैं राजकीय मुद्रणालय तथा एन0आई0सी0 के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ जिनके परिश्रम एवं सहयोग से निर्धारित समयान्तर्गत बजट तैयार करना व बजट साहित्य का मुद्रण सम्भव हो सका।

''सर्वे भवन्तु सुखिनः।
सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु।
मा कश्चित्दुःख भाग्भवेत्।''

इन्हीं शब्दों के साथ, मान्यवर, मैं वित्तीय वर्ष 2013–14 का बजट प्रस्तुत करती हूँ।

फाल्गुन 29, शक सम्वत् 1934
तद्नुसार
20 मार्च, 2013